75

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पचहत्तरवाँ प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध

(स्वीकार नहीं किये गये)

22/12/ 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण,1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन		1-3
परिशिष्ट-एक आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर 04 जुलाई, 2022 की बैठक में समिति (2021-2022) द्वारा विचार किया गया।		4-7
परिशिष्ट- दो से बारह		
	<u>आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किये गये)</u>	
दो.	'एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना' से संबंधित दिनांक 02.07.2019 का ता.प्र.सं. 144 (श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	8-16
तीन.	"अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट" से संबंधित दिनांक 25.08.2011 का अ.ता.प्र. सं. 3725	17-19
चार.*	"सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसबीआईजी)" सम्बंधी दिनांक 12.12.2019 का अ.ता.प्र. सं. 4030	20-22
पाँच. *	(i) 'विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन' विषय से संबंधित दिनांक 03.03.2016 का ता.प्र.सं. 109 (ii) 'विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन' विषय से संबंधित दिनांक 03.01.2019 का अ.ता.प्र. सं. 3705	23-28
छह. *	दिनांक 15.12.2014 को डॉ सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा ''देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम' की ओर ध्यानाकर्षण	29-41
सात.	"स्पेशल पर्पज व्हीकल" सम्बंधी दिनांक 05.09.2012 का अ.ता.प्र. सं. 4057	42-45
आठ.	"मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली" से संबंधित दिनांक 10.07.2019 का अ.ता.प्र. सं. 2844	46-50
नौ.	"एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" से संबंधित दिनांक 19.07.2021 का ता.प्र.सं. 9	51-54

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन **14.12.22** को सभा पटल पर रखा गया।

दस.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 04 जुलाई, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	55-65
ग्यारह.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की 20 दिसम्बर, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	66-67
बारह.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना	68

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के. राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2022 से किया गया है, देखिए दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 5363

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह 75वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 04 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 22 लंबित आश्वासनों को छोड़ने संबंधी ज्ञापन सं. 107 से 126 पर विचार किया और 09 आश्वासनों पर आगे कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने 20 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन के भाग हैं।

नई दिल्ली;
20 दिसम्बर, 2022
29 अग्रहायण, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्रवाई करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन, वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है । यदि मंत्रालय किसी कारणवश आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण- अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 04 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में 22 लंबित आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों संबंधी 20 ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया ।

3. मंत्रालयों/विभागों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद समिति निम्नलिखित 09 आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है:-

क्रम सं	ता.प्र./अता.प्र.सं. और तिथि	मंत्रालय	विषय
1.	ता.प्र.सं.144 दिनांक 02.07.2019 (श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग)	एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना (परिशिष्ट – दो)
2.	अता.प्र.सं. 3725 दिनांक 25.08.2011	विधि और न्याय (विधिक कार्य विभाग)	अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट (परिशिष्ट-तीन)
3.*	अता.प्र.सं. 4030 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)	सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आइएसबीआईजी) (परिशिष्ट – चार)

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 14.12.22 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं	ता.प्र./अता.प्र.सं. और तिथि	मंत्रालय	विषय
4.*	(i) ता.प्र.सं.109 दिनांक 03.03.2016 (ii) अता.प्र.सं. 3705 दिनांक 03.01.2019	विद्युत	(i) विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन (परिशिष्ट – पाँच)
5.*	दिनांक 15.12.2014 को डॉ. सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम की ओर ध्यानाकर्षण	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)	देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम (परिशिष्ट – छः)
6.	अता.प्र.सं. 4057 दिनांक 05.09.2012	कोयला	स्पेशल पर्पज व्हीकल (परिशिष्ट – सात)
7.	अता.प्र.सं. 2844 दिनांक 10.07.2019	रेल	मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली (परिशिष्ट – आठ)
8.	ता.प्र.सं.9 दिनांक 19.07.2021	जनजातीय कार्य	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (परिशिष्ट – नौ)

4. उपर्युक्त 9 आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों तथा उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों का ब्यौरा परिशिष्ट दो से नौ में दिया गया है।

5. समिति की 04 जुलाई, 2022 को हुई बैठक जिसमें आश्वासनों को छोड़ने संबंधी अनुरोधों पर विचार किया गया था, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट–दस में दिया गया है ।

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 14.12.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

6. समिति चाहती है कि सरकार द्वारा परिशिष्ट–दस के अनुबंध-दो में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों को नोट किया जाए और आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली;

20, दिसम्बर, 2022

29, अग्रहायण, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,

सभापति,

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)

आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों जिन पर समिति द्वारा 04 जुलाई, 2022 को विचार किया गया, का सार दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	107	ता.प्र.सं.144 दिनांक 02.07.2019 (श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	उपभोक्ता मामले विभाग	एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना
2	108	अता.प्र.सं. 3725 दिनांक 25.08.2011	विधि और न्याय	विधिक कार्य विभाग	अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट
3	109	अता.प्र.सं. 1399 दिनांक 24.11.2016	विद्युत		विद्युत प्रशुल्क
4	110	अता.प्र.सं. 359 दिनांक 03.02.2021	नीति आयोग		केन्द्रीय निवेश
5 *	111	अता.प्र.सं. 4030 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आइएसबीआईजी)
6	112	ता.प्र.सं.343 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 14.12.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
7	113	(i) अता.प्र.सं. 6810 दिनांक 07.05.2015 (ii) ता.प्र.सं.237 दिनांक 02.08.2018	नीति आयोग		(i) समेकित ऊर्जा नीति (ii) नई ऊर्जा नीति
8 *	114	(i) ता.प्र.सं.109 दिनांक 03.03.2016 (ii) अता.प्र.सं. 3705 दिनांक 03.01.2019	विद्युत		(i) विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन
9 *	115	दिनांक 15.12.2014 को डॉ. सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम की ओर ध्यानाकर्षण	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम
10	116	अता.प्र.सं. 4057 दिनांक 05.09.2012	कोयला		स्पेशल पर्पज व्हीकल
11	117	अता.प्र.सं. 1303 दिनांक 28.06.2019	महिला और बाल विकास		स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
12	118	अता.प्र.सं. 1628 दिनांक 04.05.2016	रेल		रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत की खपत
13	119	दिनांक 19.03.2021 को विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक,

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 14.12.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
		संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर सामान्य चर्चा		विभाग	2021 पर चर्चा
14	120	अता.प्र.सं. 2844 दिनांक 10.07.2019	रेल		मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली
15	121	अता.प्र.सं. 1927 दिनांक 03.03.2020	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	ओबीसी को केन्द्रीय सूची में शामिल करना
16	122	ता.प्र.सं.9 दिनांक 19.07.2021	जनजातीय कार्य		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
17	123	अता.प्र.सं. 2953 दिनांक 05.12.2019	आवासन और शहरी कार्य		एंलबीजेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास
18	124	ता.प्र.सं.385 दिनांक 19.07.2019 (डॉ थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	महिला और बाल विकास		किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
19	125	ता.प्र.सं. 45 दिनांक 27.04.2016 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	अल्पसंख्यक मामले		स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
20	126	ता.प्र.सं. 164 दिनांक 11.08.2011 (श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	ग्रामीण विकास	भूमि संसाधन विभाग	परती भूमि विकास कार्यक्रम

परिशिष्ट- दो

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 107

विषय: "एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना" से संबंधित दिनांक 02.07.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 144 (श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 2 जुलाई 2019 को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 144 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2 चर्चा के दौरान, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के समक्ष निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा:-

"श्रीमान, मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि पानी की बोतल पर प्रिंट रेट 15 रुपये है। यह वहाँ 20 रुपये में बेची जाती है। यदि आप होटल में जाते हैं, तो यह 40 या 50 रुपये में बेची जाती है, यदि आप एयरपोर्ट जाते हैं, तो यह 50 रुपये में बेची जाती है, ऐसा ही चिप्स और फ्रूटी के मामले में है। इन सभी मूल्यों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।"

3. जवाब में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इस प्रकार कहा:-

"इसका क्या उपाय है, हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।"

4 समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

5. इस संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. सं. डबल्यू एम-11(12)/2019 दिनांक 30.10.2021 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित प्रावधान उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं:

i. विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2011(पैकेज्ड वस्तुएं), के नियम 18(2) में प्रावधान है कि "कोई भी फुटकर(रिटेल) डीलर या अन्य व्यक्ति जिसमें निर्माता सम्मिलित है, पैकर, आयातक और थोक डीलर सहित किसी भी वस्तु को पैक्ड रूप में उसके फुटकर विक्रय कीमत से अधिक कीमत पर नहीं बेचेंगे।"

ii. जीएसआर 629 (ई) दिनांकित 23 जून 2017, नियम 18(2ए) के तहत विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम, 2011 में एक संशोधन किया गया था "जब तक कि किसी अन्य कानून के तहत विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया जाता है, कोई भी निर्माता या पैकर या आयातक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उप धारा 1 के खंड "एन एन एन" और खंड "आर" के तहत परिभाषित प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाकर एक समान प्री-पैकेज्ड वस्तुओं पर अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा नहीं करेगा।" इसे सिनेमा हॉल, हवाई अड्डे जैसे परिसर में अलग-अलग/उच्च एम आर पी पर समान पैकेजों की बिक्री से बचने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

iii. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (09.08.2019 को अधिसूचित जो 20.07.2020 को लागू हुआ) के तहत, उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार व्यवहार और झूठे या भ्रामक विज्ञापन जनता के हितों के प्रतिकूल और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए 24.07.2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 18(1) के तहत, सीसीपीए को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

   क. एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और प्रवर्तन करना और इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकना;

   ख. अनुचित व्यापार पद्धतियों(प्रथाओं) को रोकें और सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को अनुचित व्यापार पद्धतियों(प्रथाओं) में प्रवृत नहीं हो;

   ग. सुनिश्चित करें कि कोई भी गलत या भ्रामक विज्ञापन किसी भी सामान या सेवाओं पर नहीं बना है जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करता हो;

   घ. सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति झूठे या भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं हो;

iv. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(6) के तहत, शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदान की गई कोई भी राहत प्राप्त करने के लिए लिखित में कोई भी आरोप सम्मिलित है, जो एक व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा, जैसा भी मामला हो, शिकायत में उल्लिखित सामान या सेवाओं के लिए शुल्क की कीमत से अधिक कीमत वसूली गई हो -

   क. तत्समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके अधीन नियत; या

   ख. माल या ऐसे सामान वाले किसी पैकेज पर प्रदर्शित; या

   ग. उसके द्वारा प्रदर्शित मूल्य सूची पर दर्शाया गया या वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत; या

   घ. पार्टियों के बीच सहमति;

v. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार का अर्थ है एक व्यापार व्यवहार जो किसी भी सामान की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी सेवा के प्रावधानों के लिए कोई अनुचित तरीका अपनाती है या निम्नलिखित में से किसी भी पद्धति सहित अनुचित या भ्रामक व्यवहार, जैसे कि:

i) जनता को उस कीमत के बारे में वास्तविक रूप में गुमराह करता है जिस पर एक उत्पाद या समान उत्पाद या सामान या सेवाएं, आमतौर पर बेची या प्रदान की जाती हैं, और, इस उद्देश्य के लिए, मूल्य के रूप में एक प्रतिनिधित्व को मूल्य के संदर्भ में माना जाएगा जिस पर उत्पादों या वस्तुओं या सेवाओं को विक्रेताओं द्वारा बेचा गया है या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आम तौर पर प्रासंगिक बाजार में प्रदान किया जाता है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है जिस कीमत पर उत्पाद बेचा गया है या जिसके द्वारा सेवाओं को उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है या जिसकी ओर से अभ्यावेदन किया गया है।

राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना सहित उपभोक्ता आयोगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'उपभोक्ता मंचों को मजबूत करने' योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि, प्रत्येक उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता विवादों का निपटारा, त्वरित सुनवाई और मध्यस्थता के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें न्यूनतम स्तर की सुविधाएं मिल सकें।

(i) मध्यस्थता प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए राज्यों को लगभग 510 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्य/जिला उपभोक्ता आयोगों को सुदृढ़ करने के लिए विगत तीन वर्षों 2018-19 से 2020-21 के दौरान जारी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	रु. लाख में
2018-19	580.00
2019-20	353.61
2020-21	117.39

(ii) राज्य आयोग के संबंध में 25.00 लाख रुपए की एवं एक जिला आयोग के संबंध में 10.00 लाख रुपए की समग्र लागत सीमा के भीतर फर्नीचर, कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण, पुस्तकालय की किताबें, आदि की खरीद के लिए गैर-भवन संपत्ति के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) 20.07.2020 को अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता शिकायतों की ई-फाइलिंग और सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रावधान हैं। इस दिशा में, "edaakhil.nic.in" नाम का एक उपभोक्ता आयोग ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं को घर से या कहीं भी अपनी स्वयं कि सुविधा से ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा मिल सके। यह ई-दाखिल सॉफ्टवेयर ऑनलाइन शिकायत शुल्क का भुगतान करने के साथ-साथ शुल्क के भुगतान के प्रमाण को अपलोड करने के साथ ऑफ़लाइन शुल्क भुगतान करने का विकल्प भी प्रदान करता है। आर्थिक क्षेत्राधिकार का निर्णय प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किए गए प्रतिफल पर किया जाता है। 5,00,000/- रुपये से कम के उत्पाद या सेवा के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए किसी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) अब तक, ई-दाखिल पोर्टल को एनसीडीआरसी और 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों [अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी), आंध्र प्रदेश, विहार, चंडीगढ़ (यूटी), छत्तीसगढ़, दिल्ली (यूटी), गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप(यूटी), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम] आयोग संबंधित राज्य के सभी जिला आयोगों के साथ एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 505 स्थानों पर ई-दखिल की सुविधा परिचालन में है। ई दखिल की सुविधा को अपील और पुनरीक्षण दोनों को फाइल करने के लिए और बढ़ा दिया गया है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-दाखिल पोर्टल को जल्द से जल्द लागू करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

चूंकि "एम आर पी से अधिक कीमत पर बिक्री करने" का मुद्दा कानून के प्रवर्तन का मामला है जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों के स्तर पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, वकालत और संवेदीकरण अभ्यास करने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर प्रणाली को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। "

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुन: अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

नई दिल्ली:
दिनांक: 28/06/2022

अनुलग्नक

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *144

जिसका उत्तर 02-07-2019 को दिया जाएगा

एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना

*** 144. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:**

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, होटलों और मल्टीप्लेक्सों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बोतलबंद पानी तथा डिब्बाबंद भोजन और पेयपदार्थों की बिक्री उनके अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क)से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना' के सम्बन्ध में दिनांक 02-07-2019 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *144 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) से अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे बोतलबंद जल और पैकबंद भोजन और पेय पदार्थ के संबंध में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने को रोकने के संबंध में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 में प्रावधान हैं। इन प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है जो उल्लंघन के मामले में शास्ति अधिरोपित करते हैं।

****

(Q.144)

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके लोक सभा स्पीकर बनने पर माननीय प्रधान मंत्री का, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का और समस्त सदन का धन्यवाद करता हूं कि हम 25 के 25 राजस्थान के सांसद और राजस्थान की कोटि-कोटि जनता की तरफ से धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यही सवाल है कि, जिस सवाल के जवाब में मान भी रहे हैं कि ऐसी गुणवत्ता पाई जाती है। आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिन लम्बी दूरी गाड़ियों में पैंट्री कार नहीं है, जैसे- दयोदया एक्सप्रेस, कोटा-उधमपुर, जोधपुर-इंदौर, इन गाड़ियों में लोकल वेंडर जैसे-ब्रेड पकोड़ा, सब्जी-पूरी, मिर्ची आदि वहीं के लोकल वेंडर बेचते हैं। इस पर आपकी कोई पाबंदी नहीं है। ये सब चीजें किसी भी तेल में बनी होती हैं। यात्री को मजबूरी में लेना पड़ता है क्योंकि वह सामान को छोड़कर उतर नहीं सकता। इसलिए यात्री उसी को लेकर काम चलाता है। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो रेलवे स्टेशन, होटल, एयर पोर्ट इवेन मल्टीप्लेक्सों में जो ब्रांड अप्रूव्ड हैं जैसै-रेल नीर, हेल्थ प्लस, बिसलेरी सिर्फ देखने को मिलते हैं बाकी सब वहां के लोकल वेंडर वहीं का लोकल पानी बेचते हैं, वहीं का लोकल खाना बेचते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि चाहे चिप्स का हो या अन्य चीजें हों अपने मनमर्जी रेट पर बेच रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: आधा क्योश्चन माननीय मंत्री जी का है, आधा रेल मंत्री जी का है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए पानी के बोतल पर प्रिंट रेट 15 रुपये है।

वहां 20 रुपये की ब्रिकी है। होटल में जाए तो 40 या 50 रुपये की ब्रिकी है, एयरपोर्ट पर जाए तो 50 रुपये की ब्रिकी है, ऐसे ही चिप्स का है, ऐसे ही फ्रूटी का है। इन सब रेटों पर कन्ट्रोल होना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : सर, इन्होंने दो सवाल दो भाग में पूछे हैं, एक तो इन्होंने कहा है कि ऐसा बोतलबंद पानी है, जो आई.एस.आई. मार्क का होना चाहिए वह नहीं है। आई.एस.आई. का मार्क नहीं होना, यह अपने आप में भयंकर जुर्म है और इसके लिए रेड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होती रहती है। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है।

दूसरा इनका जो अहम सवाल यह है कि एम.आर.पी. में जो दाम लिखा रहता है- मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें उससे अधिक वसूला जाता है। ये शिकायतें हमको मिली है और हमने इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेने के लिए भी कदम उठाये थे, लेकिन मामला कोर्ट के अधीन आ गया । जैसे मान लेते है कि वर्ष 2016-17 में 3683, वर्ष 2017-18 में 3346 व वर्ष 2018-19 में 2990 और इसमें विभाग के द्वारा कार्रवाई 90 परसेंट की गई और बाकी न्यायालय में मामला दर्ज है। जो मेन सवाल इनका होटल के संबंध में, हवाई अड्डा के संबंध में, रेलवे स्टेशन के संबंध में है, इसमें दो मत नहीं हैं, कि यहां दाम अधिक वसूले जाते हैं। हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की थी और इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, लेकिन ये लोग कोर्ट में चले गए। 12.12.2017 को कोर्ट ने होटल एसोसिएशन की याचिका पर स्टे कर दिया। कहा कि यह जो सर्विस चार्ज है, जब लोग होटल में जाते हैं, रहते हैं इसलिए वे जो सर्विस करते हैं, उसके लिए 10 रुपये की बोतल वे 20 रुपये में बेच सकते हैं। 20 रुपये की बोतल 40 रुपये की भी बेच सकते हैं। हम उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में गए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। उसी तरीके से रेलवे का है, मॉल का है, इसे हाईकोर्ट ने खारिज

करने का काम किया। अब हम लोगों ने सोचा है कि जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, हम उसमें संशोधन करेंगे। उसके बावजूद भी लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जाने में तो कोई प्रतिबंध है नहीं, लेकिन यह गलत है कि होटल के बाहर कम दाम में मिले, होटल के अन्दर ज्यादा में मिले। एयरपोर्ट में फ्लाइट के अन्दर ज्यादा दाम में मिले, यह सही नहीं है। हमने आने के बाद 2015 से ही कदम उठाना शुरू किया, लेकिन यह मामला अंत में जाकर कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसकी रमेडी क्या हो, हम इसके बारे में फिर से गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जिस हिसाब से सारे कन्ट्रोल आपके हाथ में है, एक बी.पी.एल. परिवार को जिस हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। क्या इन होटलों और मल्टीप्लेक्सों में ये बी.पी.एल. परिवार या गरीब आदमी को भी मौका मिल सकता है, उनमें 20 से 30 परसेंट की छूट कस्टमर को मिल जाए। वह भी अपने बच्चों को लेकर वहां पर जा सकता हो, अच्छा खाना खा सकता हो। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वैसे तो हमारे सदस्य भी बी.पी.एल. में ही है इनको भी छूट मिल जाए। मेरा यह माननीय मंत्री से निवेदन है।

परिशिष्ट- तीन

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 108

विषय: "अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट" से संबंधित दिनांक 25.08.2011 के अतारांकित प्रश्न सं. 3725 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 25 अगस्त 2011 को श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य ने विधि और न्याय मंत्री से "अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 3725 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा विधि और न्याय (विधिक मामलों) मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में विधि और न्याय (विधिक मामलों) मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. फा. सं. 3(22)/2011-आई सी दिनांक 17 फरवरी 2022 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 184 उच्च शिक्षा विभाग और अन्य हितधारकों के परामर्श से इस विभाग के विचाराधीन है। मामले में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और कानूनी पेशे से संबंधित पहलू सम्मिलित हैं, उक्त रिपोर्ट को लागू करने के लिए और समय की आवश्यकता है। "

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने, विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 28/06/2022

नई दिल्ली:

अनुलग्नक

भारत सरकार

विधि और कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3725

जिसका उत्तर ...25.08.2011....को दिया गया

अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट

3725. श्री मनीष तिवारी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 184वें आयोग की रिपोर्ट की उस सिफारिश से सहमत है जो 'प्रोब्लम मेथड' पर है तथा जिसकी मांग परीक्षा प्रणाली में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 75 प्रतिशत तक की है' सैद्धान्तिक प्रश्न में 25 प्रतिशत से अलग जिससे तार्किकता जैसी बातों को स्पष्टत: बढ़ावा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विधिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन हेतु प्रस्तावों तथा विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 के संबंध में 184वें विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी. सी.आई.) द्वारा पूरे देश में नये विधि महाविद्यालय शुरू करने हेतु स्वीकृत आदेशों में से कितने आदेश वापस ले लिये गये; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि बीसीआई द्वारा केवल उन्हीं विधि महाविद्यालयों को अनुमति स्वीकृत की जाए जिनके पास इन संभाव्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों, रिपोर्ट स्टाफ एवं अवसंरचना के पर्याप्त साधन, संपत्ति और संसाधन हों?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधनों को करने के लिए ''विधिक शिक्षा और वृत्तिक प्रशिक्षण और प्रस्ताव'' पर विधि आयोग की 184वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशें, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ परामर्श में जांच की जा रही हैं।

(घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सूचित किया है कि सम्यक् निरीक्षण तथा सुधार के लिए दिए गए अवसर के पश्चात्, महाविद्यालयों को, उनके द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश को रोकने के निदेश दिए गए थे। ऐसे विधि महाविद्यालयों की संख्या, जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद् से संबद्ध करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया था परंतु इसके पश्चात, संबद्ध करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया था किंतु इसके पश्चात्, पिछले तीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा संबद्धता के अनुमोदन के विस्तार के लिए उनके अनुरोध नामंजूर कए गए थे, जो निम्नानुसार है:-

2008-09	8
2009-10	1
2010-11	21

(ङ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सूचित किया है कि इस बात को सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक महाविद्यालय, भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम, 2008 का, जो, देश में सभी संस्थाओं द्वारा अंगीकृत किए जाने वाली विधिक शिक्षा के न्यूनतम मानकों से संबंधित है, अनुसरण करता है।

परिशिष्ट- चार

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 111

विषय: "सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना" सम्बंधी दिनांक 12.12.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 4030 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य ने जल शक्ति मंत्री से "सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना" विषय संबंधी अतारांकित प्रश्न सं. 4030 पूछा। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्नों के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने अपने दिनांक 24.01.2022 के का.ज्ञा.फा.सं. एन-24011/1/2021/23-25 के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"उपर्युक्त संसदीय प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करते हुए, इस मंत्रालय ने उस समय आईएसबीआईजी की नई प्रस्तावित योजना की स्थिति की जानकारी दी। यह भी बताया गया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद घोषित योजना को लागू किया जाएगा। इस बीच, कैबिनेट सचिवालय ने सूचित किया है कि सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसबीआईजी) अब इस सचिवालय के विचाराधीन नहीं है।"

4. उपरोक्त स्थिति में, मंत्रालय ने जल शक्ति राज्य मंत्री के अनुमोदन से इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक:- 28/06/2022

नई दिल्ली:

अनुबन्ध

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4030

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना

4030. श्री पी. पी. चौधरी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसबीआईजी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार राजस्थान में आईएसबीआईजी के अंतर्गत किसी भी नए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजनाओं को मंजूरी देना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार राजस्थान को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चालू सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता/निधि जारी करना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) भारत सरकार ने सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसबीआईजी) नामक एक नई योजना के माध्यम से विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के एक घटक के रूप में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का कार्य पूर्ण करने की पहल शुरू की है। नई योजना तैयार करने के दौरान, राजस्थान की 13 परियोजनाएं सहित आईएसबीआईजी के लिए 24 राज्यों में 317 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनका विवरण निम्नप्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल सीसीए (हजार हे.)	शेष सीसीए (हजार हे.)
1	आईजीएनपी -II की 6 लिफ्ट योजनाओं में दाब सिंचाई का विकास	347.566	317.017

2	चंबल	229.000	77.758
3	भाखड़ा नहर तंत्र के अमर सिंह उप-शाखा एवं जासना जिला	50.835	18.000
4	सिधमुख नोहर	111.460	10.420
5	भाखड़ा नहर परियोजना चरण-I	113.420	108.980
6	बिसालपुर परियोजना	65.100	25.047
7	छापी	6.991	7.552
8	पंचना	6.106	9.985
9	गंभीरी (आधुनिकीकरण)	7.599	7.599
10	चौली	8.963	5.132
11	माही	20.000	20.000
12	जवाई	38.671	38.671
13	भाखड़ा नहर चरण-II	179.138	179.138
	कुल	1184.849	825.299

भारत सरकार की व्यय वित्त समिति द्वारा इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और इस समय इस योजना पर सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। आईएसबीआईजी के तहत परियोजनाओं का अंतिम समावेशन अनुमोदित योजना के समग्र कार्यक्षेत्र और राज्यों की प्राथमिकता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तावों के अनुरूप किया जाएगा।

(घ) और (ङ) इस समय सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड के माध्यम से दीर्घावधिक सिंचाई कोष का उपयोग करने वाले 99 एआईबीपी प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। राजस्थान की 2 परियोजनाएं अर्थात गंग नहर परियोजना च -।। और नर्मदा नहर परियोज को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। परियोजना के लिए मार्ग निर्देशानुसार केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार द्वार , केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के अनुसार जारी की जाती है। गंग नहर परियोजना के लिए वर्ष 2019-20 हेतु नाबार्ड द्वारा और आगे 10.22 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है। इस मंत्रालय में नर्मदा नहर परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त किए गए प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

******

परिशिष्ट- पांच

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

ज्ञापन सं. 114

विषय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए आश्वसनों को छोड़ने का अनुरोध:

(i) 'विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन' विषय से संबंधित दिनांक 03.03.2016 के तारांकित प्रश्न सं. 109; और

(ii) 'विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन' विषय से संबंधित दिनांक 03.01.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 3705 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

विभिन्न संसद सदस्यों ने विद्युत मंत्री से उपर्युक्त प्रश्न पूछे। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर अनुबंधों (एक और दो) में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तरों को आश्वासन माना गया था तथा विद्युत मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं।

3. इस संबंध में विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 जनवरी, 2017 के का.ज्ञा. सं. 28(एल)/2/2016-आर एण्ड आर के माध्यम से क्रम सं. (i) पर उल्लिखित आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

"विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के संबंध में यह बताया जाता है कि 19.12.2014 को लोक सभा में प्रस्तुत विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 07-05-2015 को अपनी सिफारिशें दी थीं। सिफारिश और विस्तृत चर्चा के आधार पर, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में आधिकारिक संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन की प्रक्रिया में अधिक समय की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें न केवल मंत्रिमंडल का अनुमोदन शामिल है बल्कि इसके अनुमोदन के लिए एक पूर्ण संसदीय प्रक्रिया की भी आवश्यकता होती है।"

4. क्रम सं (i) पर उल्लिखित उपर्युक्त अनुरोध को समिति द्वारा 30 जून, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार समिति ने 04 जनवरी, 2018 को अपना 72वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और मंत्रालय से अनुरोध किया कि इस आश्वासन को अविलंब पूरा करने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय से विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 में संशोधन करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

5. इस संबंध में विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 09 अगस्त 2021 के का.ज्ञा. सं. 28(एल)/2/2016-आर एण्ड आर [229931] और दिनांक 09 अगस्त 2021 के का.ज्ञा.सं. 28(एल)/27/2018-आर एण्ड आर के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"चूंकि आश्वासन विद्युत अधिनियम में संशोधन अर्थात विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 से संबंधित हैं और उक्त विधेयक 16वीं लोक सभा भंग करने पर व्यपगत हो गया है, अतः उक्त आश्वासन को पूरा नहीं किया जा सकता है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने विद्युत राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासनों को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है।

समिति के पुनःविचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक :28/06/2022
नई दिल्ली

अनुबन्ध-एक

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-109

जिसका उत्तर 03 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन

*109. **श्री लक्ष्मी नारायण यादवः**

श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन से संतुष्ट है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र में किस हद तक स्वस्थकर प्रतिस्पर्धा आई है;

(ग) क्या एक स्पर्धात्मक वातावरण बनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में विहित किए गए मानकों का उल्लंघन होने के मामलों की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में उक्त उपबंध के प्रवर्तन के संबंध में जांच कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.03.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत सरकार ने विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार एवं उपयोग से संबंधित कानूनों का समेकन करने तथा सामान्यत: विद्युत उद्योग के विकास में सहायक उपाय करने तथा उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन किया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के माध्यम से उत्पादन (जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाले उत्पादन को छोड़कर) को लाइसेंस-रहित करने से, विद्युत क्षेत्र में प्रतिभागिता करने वालों का बाहुल्य हो गया है। निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता से पारेषण क्षमता में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विनियामक आयोगों को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विनियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने अधिनियम में अपेक्षित आवश्यक विनियम तैयार किए हैं। केंद्रीय आयोग द्वारा, इस अधिनियम के तहत अधिदेशानुसार विद्युत बाजार का विकास किया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) तथा पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) के माध्यम से, डे-अहेड मार्केट के अंतर्गत ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने क्रमश: 12084.18 एमयू तथा 102.95 एमयू का लेन-देन किया है। आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यापार लाइसेंसधारियों तथा पावर एक्सचेंजों से विद्युत क्षेत्र में वांछित प्रतिस्पर्द्धा आई है।

(ग) : विद्युत अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति सुकर करने तथा कैप्टिव उत्पादन और नवीकरणीय उत्पादन, जैसे विद्युत के स्रोत का दोहन करने के लिए ओपन एक्सेस, विद्युत अधिनियम, 2003 का एक आधार है। राज्य आयोग को, मौजूदा वितरण लाइसेंसी नेटवर्क पर, अधिभारों तथा व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करने पर खुली पहुंच की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। तथापि, खुली पहुंच से मना करने के कुछ उदाहरण आयोगों के सामने लाए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं जिनमें उनके सीमा-क्षेत्रों से बाहर विद्युत के प्रवाह को प्रतिबंधित किया गया है। आयोगों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की है। कुछ मामलों में, यह मुद्दा न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ) : विद्युत के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, इस अधिनियम के प्रावधानों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों एवं साथ ही अधिनियम में परिभाषित विभिन्न सांविधिक निकायों तथा कंपनियों के कार्यों तथा दायित्वों की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार समय-समय पर विद्युत अधिनियम, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ विभिन्न मंचों पर मामलों को उठाती आ

रही है। डीईआरसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली में प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण तैयार करने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 में यथानिर्धारित मानदंडों के उल्लंघन का कोई उदाहरण नहीं पाया गया है।

यद्यपि, उत्पादन क्षमता-संवर्धन, राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना बहुस्तरीय विनियामक कार्यढाँचा, निजी क्षेत्र-प्रतिभागिता, विद्युत बाजार तथा एक्सचेंजों के विकास और राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के क्षेत्रों में आकर्षक उपलब्धियाँ रही हैं, तथापि, और अधिक प्रतिस्पर्द्धा तथा दक्षता लाने के लिए उक्त अधिनियम के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। तदनुसार, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 19.12.2014 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात, यह विधेयक ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने विस्तृत जाँच के पश्चात् दिनांक 07.05.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर, संशोधित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

****

अनुबन्ध-दो

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3705

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन

3705. श्री कोनाकल्ला नारायण रावः

श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मौजूदा विद्युत अधिनियम, 2003 को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दृष्टि से संशोधित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के मत लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए विद्युत विधेयक के कब तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्र सरकार वर्तमान विद्युत अधिनियम, 2003 में इसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने को ध्यान में रखते हुए संशोधन लाने की योजना बना रही है। इस संबंध में, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014, 19.12.2014 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात, विधेयक जांच हेतु ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को संदर्भित किया गया था। स्थायी समिति ने 07.05.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अवलोकनों/सिफारिशों तथा राज्य सरकारों और अन्य पणधारकों के साथ आगे परामर्श/विचार-विमर्श के आधार पर कुछ और संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। तद्नुसार, राज्य सरकारों सहित विभिन्न पणधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए संशोधित प्रारूप 07 सितंबर, 2018 को परिचालित किया गया था। राज्य सरकारों सहित पणधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर, 2018 थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के लिए प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करने हेतु राज्य सरकारों के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर, 2018 को आगे विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।

हमें एक सौ से अधिक पणधारकों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है। पणधारकों के विचारों की जांच को ध्यान में रखने के पश्चात, विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा और विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 संसद में रखा जाएगा।

****

परिशिष्ट- छह

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

ज्ञापन सं. 115

विषय : 'देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति' विषय से संबंधित दिनांक **15.12.2014** के श्री सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

---

15 दिसंबर, 2014 को श्री सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए निम्नवत मुद्दा उठाया:-

"हमारे देश में बहुत ही टफ एंड स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जाएं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं और हैवी पनिशमेंट उसमें दिए जाएं। आजकल जो प्रावधान है, पैसे का ज्यादा फाइन होता है, उसमें जेल बहुत कम है और एनफोर्समेंट लॉ ठीक नहीं है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन्स एवं म्यूनिसिपल काउंसिल्स के अधिकारी भ्रष्ट हैं। उसके लिए मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में जो अधिकारी पकड़े जाएं, उनके लिए ज्यादा पनिशमेंट देने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। फूड टेस्टिंग लेबोरेट्रीज और फूड इंस्पेक्टर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि कैसे सिम्पल स्क्रीन टेस्ट से पब्लिक देख सके कि उसमें क्या मिलावट हो रही है।"

2. उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नवत बताया:-

"लेकिन अब समय आ गया है कि इस सारे एक्ट (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006) को रिविजिट करने की आवश्यकता है। रीविजट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम रीविजट कर रहे हैं तो हमने यह कोशिश की है कि सारे एसपैक्ट्स को हम देखें और जितने भी फूड आइटम्स हैं और जो केवल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं वही नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टिड फूड आइटम्स हैं, उनको रीविजट करने की जरूरत है और इस दृष्टि से हम प्रयासरत हैं .....मंत्रालय उसको गंभीरता से लेता है और बहुत जल्द हम इस एक्ट को रीविजट करने वाले हैं।"

3. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

4. इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने अपने दिनांक 08.03.2022 के का .सं .ज्ञा.एच.11014/2/2014-एफआर के माध्यम से निम्नवत् बताया-:

"खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम और प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विधेयक की व्यापक समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ साझा किया गया था। इस संबंध में एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस मंत्रालय में प्रस्ताव की जांच की गई और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अनुमोदन से, इस मंत्रालय ने दिनांक 23/09/2020 के एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रारूप अधिसूचित किया, जिसमें हितधारकों / आम जनता की टिप्पणियां / सुझाव मांगे गए थे। उक्त विधेयक पर आम जनता/हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए विधेयक को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। सार्वजनिक सूचना के बाद, कई माध्यमों से सुझाव प्राप्त हुए थे और वर्तमान में एफएसएसएआई के परामर्श के साथ मंत्रालय के विचाराधीन/जांचाधीन है।

साथ ही, संसदीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 27.01.2017 के का.ज्ञा. संख्या XVI-III/एच एंड एफडब्ल्यू(16)/कॉल.एटीटी/एलएस/2014 के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंशिक कार्यान्वयन रिपोर्ट के लिए अनुमोदन दिया क्योंकि एफएसएसएआई ने अभी तक अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। एफएसएसएआई से उक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, तथापि, इस संबंध में यह बात ध्यान में लाई जाती है कि तात्कालिक मामला संवेदनशील है और इस प्रकार स्टेक होल्डर विभागों/संगठनों के परामर्श से गहन विचार-विमर्श/जांच की आवश्यकता है जिसमें कुछ और समय लगने की संभावना है। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एफएसएस अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को तत्काल अंतिम रूप देना व्यवहार्य नहीं है।"

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

नई दिल्ली:
दिनांक : 28.06.2022

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of food adulteration in the country and steps taken by the Government in this regard dt. 15/12/2014

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The situation arising out of food adulteration in the country and steps taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam Speaker, consumption of adulterated and spurious food items is a serious health hazard and the Government is fully conscious of its deleterious effect on the consumers. With the objective of consolidating the laws relating to food and for laying down science based standards for articles of food as also to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto, the Food Safety and Standards Act was enacted in 2006. Subsequently, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) was established in 2008. The Food Safety and Standards Rules and six FSS Regulations, were also notified in 2011.

The Food Safety and Standards Act became operational with effect from 05.08.2011. The food regulatory framework has now moved from the one limited to prevention of food adulteration to safe and wholesome food regime. The responsibility for enforcement of the Food Safety and Standards Act and Rules and Regulations made thereunder primarily rests with States/UTs.

The Food Safety and Standards Act, 2006 provides for graded penalties for infringement of the provisions of the Act. Penalties/punishment for selling food not of the nature or substance or quality demanded; sub-standard food; misbranded food; misleading advertisement; food containing extraneous matter; unsafe food for possessing adulterants etc., have been specified in the Act.

To curb the menace of food adulteration, regular surveillance, monitoring and sampling of food products is undertaken by the State /UT Governments under the Food Safety and Standards Act, 2006, Rules and Regulations made thereunder. Instructions in this regard are issued by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) from time to time. Random Samples of food items are also drawn by the State Food Safety Officers and sent to the laboratories recognised by the FSSAI for analysis. In cases, where samples are found to be not conforming to the provisions of the Act and the Rules & Regulations made thereunder, penal action is initiated against the offenders. Based on information received from States/UTs, the details pertaining to last two years are as under:

Year	Samples analysed	Samples found adulterated	No. of cases launched (criminal/civil)
2012-13	69,949	11021	7179
2013-14	72,200	13,571	10235

The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, prescribe limits for pesticide residues, naturally occurring toxic substances and metal contaminants. A Scientific Panel on Pesticides and Antibiotic Residues has been constituted under the FSSAI and the Panel has been delegated the power to fix the maximum residues levels of pesticides and antibiotic Residues in food commodities. Further, the exercise for harmonization of the maximum residue limits for pesticide residues in food commodities with

codex standards is presently being undertaken by the FSSAI.

The Ministry also proposes to comprehensively review the Food Safety and Standards Act, Rules & Regulations made thereunder to address the concerns of the Courts including in matters relating to food adulteration and the numerous representations received from the Food Business Operators. It is also proposed to revisit the punishment stipulated for milk adulteration and make it more stringent.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY : Thank you Madam for giving me this chance.

Madam, I would like to start with a quote of Swami Vivekananda. It says, "Brave, bold men and women, these are what we want. What we want is vigour in the blood, strength in the nerves, iron muscles and nerves of steel, not..... Avoid all these. Avoid all misery.".

Madam, I recall this quote of the great saint with reference to building a strong nation but these qualities envisaged by him will be a far fetched idea if we do not curb the menace of food adulteration. This is a greater threat than the border issues or the terrorist threat that our country is facing today. If we do not check food adulteration, we will lose more lives than in any war. It has got the potential of a weapon of mass destruction. Even basic things like water, milk and oil are in the long list of adulterated foods. No attention is paid.

If we take the case of water, we find a lot of water in the market branded as purified water. We know most of the water bottles in the market are spurious. We are a country where we have a slogan, 'Make in India'. We want other people from other countries to come to India and make their products. We are the same country which has sent Unmanned Mission to Mars and we launched satellites of other countries. But the irony is that we still find foreigners bringing their own water bottles to India when they come to India.

If we take the case of milk, earlier it was like adding water to milk was the common form of adulteration. But now it has reached hi-tech proportions with synthetic milk, which is made of caustic soda, soap, urea and oil. Synthetic milk causes cancer and is harmful to heart, liver and kidneys. It is highly dangerous for

pregnant women, babies and children. The problem is that once the milk is obtained from the milch cow, it has to be stored within 4-5 hours. The dairies do not check the milk properly and most of the dairies are unregulated. Except for a few major dairies, most of the dairies do not check the milk properly, and this synthetic milk is mixed with the normal milk and supplied to everybody, to each and every household.

The other danger is that now-a-days it is a big trend that they are injecting hormone injections like oxytocin to cows to increase their yield and get more milk. *The Nutrition Digest*, a publication of American Nutrition Association, says that milk from cows given hormone injections increased the risk of various cancers when consumed by humans. Still studies are being done on the effects of these hormone injections, specially, oxytocins which are freely being given to all the cattle in the country. It is a very dangerous development in our country. The effect of oxytocin is not only harmful for humans but it is really harmful for the cattle also because these oxytocin injections are administered daily to the cattle. I can say that this is a more heinous crime than cow slaughter because the cattle are in great pain. The cow slaughter law, which we have, will have no meaning if you do not control these Oxytocins in the country.

Another major threat the country is facing today is resistance to antibiotics. It is not only a threat in our country but throughout the world. A lot of countries are facing this problem. The presence of antibiotic residues in honey, meat, poultry and egg products consumed can produce resistance in bacterial population in the human body. These bacteria cause difficulties in treating human infections. This is largely due to unregulated use of antibiotics in animals. People use antibiotics in animals to prevent them from diseases and increase their breed in a very short period of time.

The World Health Organisation has identified antibiotic resistance as one of the three threats to the human population in the world. The US Centre for Disease Control and Prevention has described antibiotic resistance as one of the world's

most pressing problems as a number of bacteria resistant to antibiotics have increased in the last decade. If this trend continues, Madam, we will not have any frontline medicines, which will treat basic diseases like typhoid, malaria and even other common fevers. It will lead even to a bigger health disaster than the one which is posed by bird flu, swine flu and Ebola in our country. Studies show that prolonged use of antibiotics cause cancer, asthma and cardiac malfunctions in infants. The latest one reported in the country is the new disease called Inflammatory Bowel Syndrome (IBS). These antibiotics kill the useful bacteria in the stomach, which leads to ulcer. A lot of people are suffering from this IBS syndrome.

Madam, artificial ripening of fruits is also causing many problems in our country. The International Agency for Research on Cancer (IARC) has listed a number of chemicals and pesticides, which cause cancer. Calcium carbide and ethylene are among them. Calcium carbide is most commonly used in India. It is used in ripening of mangoes, bananas and even papayas and tomatoes. These fruits when consumed affect all the vital organs like liver, kidney, heart and stomach. It is very dangerous to the health. There is no regulation to prevent the calcium carbide, which is being used very commonly in the country.

Another problem which I would like to bring to the notice of the House and which is the most burning problem today in the country, is the unregulated use of pesticide. The studies show that pesticides can cause health hazards like birth defects, nerve damage and various cancers. The most affected are the rural folks, who are unaware of these dangers. A study conducted by researchers in Rajasthan University has shown that there are alarming levels of Organochlorine Pesticides in the blood and milk of lactating mothers. This is a very dangerous news because mother's milk is a gift to us from God. It is the purest of the pure things what God has given to us. It is really pathetic that we have contaminated even mother's milk. It is not only in Rajasthan but studies in various other parts of the country have shown similar results.

Madam, I would like to say that when you have laws to protect women and children from atrocities, there are more women and children being affected by food adulteration than the actual atrocities committed on them. I would like to cite an example of my native village from where I come. Twenty years ago there was just one cancer patient in the village. But now in a population of thousand people, 50 people are suffering from cancer. Most of them are unable to get proper treatment. It costs them lakhs and lakhs of rupees for them to get treated. This crisis is not only in my constituency but is a national crisis right now with the number of cancer patients increasing in the country.

Through yourself, Madam, I would request the Government to take up a health scheme like Arogya Shree which was started by our former Chief Minister the late Y. S. Rajasekhara Reddy *garu* in Andhra Pradesh, where any poor person can go to the hospital of his choice and get treatment for any ailment which he is suffering from. It will really help the people of the country if such a scheme is launched by the Government.

I am not exaggerating when I say that there is hardly any food that is left unadulterated. It has reached such proportions that strict laws need to be enacted to curb it. Statistics show that the current laws are inadequate and the culprits are going scot-free with meagre fines and small punishments. Adulteration is as good as poisoning the public and, therefore, strict laws should be there; punishments given should be as severe as in 'attempt to murder' cases and the adulterators have to be booked under such provisions. The Supreme Court has urged that anyone found involved in the illicit activity should be dealt with a firm hand. The Apex Court has stated that milk adulteration should attract 'life imprisonment', and asked the Government to take a serious view of this. The Apex Court has also slammed the current maximum punishment of six months as grossly inadequate.

Though much of the action lies in the hands of the State, I urge the Central Government to step in and play a proactive role as it is a national crisis right now. I urge the Government to form a high-powered committee as coordinated efforts

of the Ministries of Health, Food and Agriculture will deliver the desired results, what we require.

Every Indian, including all of us, is consuming what I call 'slow poison'. Knowingly or unknowingly, water, rice, wheat, vegetables, milk, meat, fruits or sweets, whatever we are taking, in other words, whatever we are eating is making our country a nation with the highest number of cancer patients, and people are suffering from the effects of food adulteration. Even every child in the womb is a victim of adulteration these days. I am afraid of this unseen enemy, which enters each household everyday.

Madam, as they say, "A stitch in time saves nine", if we put in strong rules and regulations, and enact strong laws, we can save crores of rupees for the country in terms of healthcare costs. These man-made problems should not be a deterrent in the development of the nation.

In the end, I would like to thank our hon. Prime Minister for bringing in Swachh Bharat for a 'Clean India'. Madam, through you, I would request the Government to bring a new initiative like "Shuddh Bharat" where we get clean water and clean food. I thank you, Madam, for giving me the chance to speak on this issue.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज का विषय जीवन और मृत्यु के प्रश्न का विषय है। यह सवा सौ करोड़ लोगों का प्रश्न नहीं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी विषय है। यह केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि पशुओं और पक्षियों से भी संबंधित विषय है। इसलिए इस विषय पर बोलने के लिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समय दें।

सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने समस्या की गंभीरता और इसकी व्याप्ति को मानकर एक कठोर कानून लाने की बात कही है। इसके साथ-साथ मैं इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को उजागर किया और इस बात को माना है कि पिछली सरकार में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कानून बनाया गया, वह वर्ष 2006 में बना। दो वर्ष के बाद उसकी अथॉरिटी बनी, पाँच वर्ष के बाद उसके रूल्स और रेगुलेशंस बने। यह केस ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस

का नहीं, बल्कि यह केस ऑफ कोमा है। ऐसा लगता है कि पिछली सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही थी।

अध्यक्ष महोदया,

" एक दो ज़ख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी।
दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठूँ।"

माननीय अध्यक्ष : आप दो-तीन क्लियरिफिकेशन भले ही पूछें, पर बहुत लम्बा भाषण न दें।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैडम, चाहे दूध हो, चाय हो, फल हो या सब्जी हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक हो, घी हो या तेल हो, सब जगह मिलावट का बोलबाला है। पिछले हफ्ते ही इस सदन ने मानसिक रोगों के बारे में चर्चा की थी। मानिसक रोगों के लिए कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डाक्टर्स हैं, कितने रोगी है? हम सिम्पोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम उसके मूल में नहीं जाएंगे - प्रज्ञापराधो ही मूलं सर्वरोगानाम - उसके पीछे क्या है, उसे देखना होगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि आहार शुद्धो ही सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो दुर्वास्मृति। अगर आहार शुद्ध है, भोजना शुद्ध है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आज इस देश में आहार ही इतना अशुद्ध हो गया है, इसलिए ये सारी प्राब्लम्स हो रही हैं। हम लोग कहते हैं - जैसा खाए अन्न, वैसा हो जाए मन।

मैं अपने कलीग रेड्डी जी को धन्यवाद देता हूं और उनकी बात को सप्लीमेंट करते हुए कहना चाहता हूं कि जब सवेरे कोई आदमी उठता है, चाहे पानी पिए, दूध पिए या चाय पिए, सब में मिलावट है। पानी में फ्लोराइड है, नाइट्राइट है, नाईट्रेट है, कोबाल्ट है, आर्सेनिक है, अलग-अलग चीजें मिली हुई हैं। चाय में पता नहीं क्या-क्या मिला रहे हैं और दूध की हालत इतनी खराब हो गयी है कि हमारी एजेंसीज कहती हैं कि मार्केट में जो दूध मिल रहा है, उसमें से 70 प्रतिशत दूध मिलावट वाला दूध है। उसमें कास्टिक सोडा, यूरिया, स्टॉर्च और व्हाइट पेंट मिलाया जा रहा है। उससे अलग-अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं, किडनी की बीमारी हो रही है। दूध को कैसे लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके लिए कुछ डेयरियां हेयर ब्लीच कैमिकल्स मिला रही हैं। हाइड्रोजन पैराक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इससे अलग-अलग तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। पनीर और मावा में आज आर्जिमोन ऑयल मिलाया जा रहा है जिससे अलग-अलग बीमरियां पैदा हो रही हैं। दूध जल्दी से और ज्यादा मात्रा में हो, इसके लिए जानवरों को आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि यह इंजेक्शन लेबर पेन के लिए गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। Mother experiences labour pain once, लेकिन गाय-भैंस दिन में दो-दो बार उसको

महसूस करती हैं। एक तरफ हम कानून बनाते हैं कि जानवरों के प्रति कोई निर्दयता न दिखाए, लेकिन आज इस देश में जानवर इसे सहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें भाषण परमिटेड नहीं है। आप अपना क्लेरिफिकेशन पूछिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह : घी में चर्बी मिलाई जा रही है। अगर आप एलाऊ करें, मैं माननीय मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत ही टफ एंड स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जाएं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं और हैवी पनिशमेंट उसमें दिए जाएं। आजकल जो प्रावधान है, पैसे का ज्यादा फाइन होता है, उसमें जेल बहुत कम है और एनफोर्समेंट लॉ ठीक नहीं है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन्स एवं म्यूनिसिपल काउंसिल्स के officers are chronically corrupt. उसके लिए मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में जो अधिकारी पकड़े जाएं, उनके लिए ज्यादा पनिशमेंट देने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। फूड टेस्टिंग लेबारेट्रीज और फूड इंसपेक्टर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि कैसे सिम्पल स्क्रीन टेस्ट से पब्लिक देख सके कि उसमें क्या मिलावट हो रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्लेरिफिकेशन्स पूछिए। सजेशन्स आप लिखकर भेज दीजिए। अगर मंत्री जी से आपको कुछ नहीं पूछना है तो हो गया। बैठिए।

माननीय मंत्री जी।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, स्पीकर, अभी कॉलिंग अटेंशन मोशन में माननीय सदस्य मिधुन रेड्डी जी एवं सत्यपाल सिंह जी ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह सरकार के ध्यान में है। इस चिन्ता का सही रूप में निवारण किया जाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत भी है और कार्यरत भी है।

सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने थ्रेट के रूप में कहा है। मैं इसे थ्रेट से ज्यादा एक चैलेंज के रूप में लेता हूं और मंत्रालय इससे ओवरकम करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। एक बात हमें समझनी होगी कि जहां तक कन्टैमिनेशन का सवाल है या एडल्ट्रेशन का सवा है, इसके नये-नये तरीके और नये ढंग समाज में लोग उपयोग करते रहे हैं। At one particular time, we are going to get a result which is going to be absolutely free from adulteration इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात यह होगी कि It is a continuous process which we have to develop. A mechanism has to be developed which is continuous, which is regulatory, which monitors and which also finds ways and means to curb adulteration जो नये-नये तरीके से मार्किट में इम्पलीमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है।

मैं दोनों माननीय सदस्यों की चिंता को अपने साथ समावेश करता हूं और आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से प्रयासरत है, कार्यरत है और इस चैलेंज को हम सीरियसली मीटआउट करना चाहते हैं। वर्ष 2006 से पहले फूड एडल्ट्रेशन एक्ट से काम चल रहा था, लेकिन जैसे-जैसे एडल्ट्रेशन की मैथडोलॉजी बढ़ी, More stringent laws were needed. That is why, in 2006, we came with the Food Safety and Standards Act. उसके प्रोवीजन और रैगूलेशन्स बनने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ, लेकिन अब समय आ गया है कि इस सारे एक्ट को रिविज़िट करने की आवश्यकता है। रीविज़ट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने आज से दो दिन पहले ही एक टास्कफोर्स गठित किया है और उस टास्कफोर्स को within 45 days, they have to give their suggestions. उन सजैशन्स को हम पब्लिक डोमेन में भी डालेंगे ताकि हमें जनता का इनपुट भी इस बारे में प्राप्त हो सके। हम इसे और स्ट्रिन्जन्ट बनाना चाहेंगे। मिल्क के इश्यु पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आयी है। But milk is one segment जब हम रीविज़ट कर रहे हैं तो हमने यह कोशिश की है कि सारे एसपैक्ट्स को हम देखें और जितने भी फूड आइटम्स हैं और जो केवल ऑर्गेनाइज्ड और अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं वही नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टिड फूड आइटम्स हैं, उनको भी रीविजट करने की जरूरत है और इस दृष्टि से हम प्रयासरत हैं।

जहां तक ऑक्सीटोसिन का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि इसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन जो रूल्स और रैगूलेशन्स हैं, वे अपने आप में काफी स्ट्रिन्जेन्ट हैं। The issue is of implementation. The implementation part is with the States and the Union Territories. But I do not want to say that. It is a blame game कि मैं उन पर इस विषय को डाल दूं। रूल्स-रेगूलेशन्स बनाना हमारा काम है और हम बना रहे हैं। We are trying to be more stringent because यह मानवता से जुड़ा विषय है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले कम्यूनिकेबल डिसिसिज़ का बर्डन हमारे ऊपर था, लेकिन अब इक्वली नॉन-कम्यूनिकेबल डिसिसिज़ का बर्डन भी बढ़ गया है और ये नॉन-कम्यूनिकेबल में जो फूड आइटम्स हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। We have to be very serious on this issue. इसलिए हम मैनपावर और इनफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि आज एनालिसिस की देश में बहुत कमी है। लेबोरट्रीज़ हमारे पास हैं, लेकिन इनको और इक्यूप करने की जरूरत है। इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी लेबोरट्रीज़ को आगे लाने की जरूरत है। कम समय में बड़े स्केल पर इसकी इम्पलीमेंटेशन को और कारगर करना पड़ेगा और इसके लिए मंत्रालय कटिबद्ध है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

बहुत से विषय सत्यपाल जी ने और रेड्डी जी ने रखे हैं। उन्होंने बीमारियों के बारे में बताया है कि किस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नॉन-कम्यूनिकेबल डिसिसिज़ का बर्डन बढ़ रहा है और इसलिए हमें इस बात के लिए प्रयासरत रहना होगा कि हम शुद्ध भोजन और शुद्ध फूड मैटिरियल्स उपलब्ध करवा सकें।

उनकी चिंता जायज है, मंत्रालय उसको गंभीरता से लेता है और बहुत जल्द हम इस एक्ट को रीविजिट करने वाले हैं। A task force has been formed. वह फोर्स 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। पब्लिक डोमैन में हम इसको डालेंगे और जल्द से जल्द हम इसको मोस्ट स्ट्रिन्जेंट बनाएंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

[Placed in Library, See No. LT 1231/16/14]

परिशिष्ट- सात

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 116

विषय: "स्पेशल पर्पज व्हीकल" सम्बंधी दिनांक 05.09.2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 4057 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

*****

दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को श्री धर्मेन्द्र यादव और विभिन्न अन्य संसद सदस्यों ने "स्पेशल पर्पज व्हीकल" के संबंध में कोयला मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 4057 पूछा। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा कोयला मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, रेल, कोयला तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ने अपने दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के अ.शा.सं. 54016/28/2012-पीसीए के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को जारी रखने संबंधी दिनांक 05.09.2012 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4057 के लिए तत्कालीन माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित करने और आश्वासन को पूरा करने की समय सीमा को 31.12.2021 तक बढ़ाने के लिए कृपया इस मंत्रालय द्वारा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति को भेजे गए 25 जून 2021 के सम संख्यक का.ज्ञा. को देखें। उपर्युक्त आश्वासन इस्पात मंत्रालय से संबंधित आश्वासन के बिन्दु सं. (छ) का उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण बहुत लंबे समय से लंबित है।

इस संबंध में, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उपर्युक्त आश्वासन पर 09.10.2017 को सरकारी आश्वासन संबंधी समिति (लोक सभा) द्वारा भी चर्चा की गई थी, और समिति के सभापति ने निदेश दिया कि कोयला मंत्रालय को इस आश्वासन को इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित करना चाहिए, जिन्हें इसपर कार्रवाही का जिम्मेदारी लेना चाहिए क्योंकि आईसीवीएल के पुनर्गठन संबंधी कार्रवाई इस्पात मंत्रालय द्वारा की जानी है। तदनुसार, कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 12.10.2017 के सम सं. पत्र के माध्यम से

इस्पात मंत्रालय से आश्वासन स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस्पात मंत्रालय ने आश्वासन को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 07.12.2017 के पत्र के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का आश्वासन दिया। तथापि, 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस मंत्रालय को कई अनुस्मारकों के बावजूद इस्पात मंत्रालय से कोई इनपुट प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस मंत्रालय ने दिनांक 25 जून, 2021 के सम संख्यक का.ज्ञा. के माध्यम से सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (लोक सभा) से आश्वासन इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित करने और आश्वासन को पूरा करने के लिए समय को 31.12.2021 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

अब, कैबिनेट सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशानुसार 2 अक्तूबर, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक लंबित संदर्भों को निपटाने के लिए विशेष अभियान के मद्देनजर, मैं आपसे इस मामले की जांच करने और कोयला मंत्रालय के रिकॉर्ड से इस लंबे समय से लंबित आश्वासन को हटाने का अनुरोध करता हूँ।"

4. उपरोक्त के मद्देनजर, रेल, कोयला तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ने इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली:
दिनांक:- 28/06/2022

अनुबंध

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4057

जिसका उत्तर दिनांक 05.09.2012 को दिया गया

स्पेशल पर्पज व्हीकल

4057. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आधलराव पाटील शिवाजी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री गजानन घ. बाबर:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी), इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड (आईसीवीएल) का गठन संयुक्त रूप से कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने विदेशों में कोयला संपत्ति के अधिग्रहण के लिए स्थापित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) से बाहर आने का निर्णय लिया है;

(घ)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने सीआईएल को अपने निर्णय पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं सीआईएल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा आईसीवीएल को विदेशों में खानों के अधिग्रहण के मामले में ज्यादा प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील): (क) और (ख) इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड (आईसीवीएल), एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना प्रमुख रूप से संबर्द्धक कंपनियों की वर्तमान तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में कोयला परिसम्पत्तियों/खानों/कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए इसके संबर्द्धक कंपनियों के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰ (सेल), कोल इंडिया लि॰ (सीआईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰ (आरआईएनएल), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰ (एनएमडीसी) तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि॰ (एनटीपीसी) के साथ स्थापित किया गया है।

(ग) से (च) आईसीवीएल से बाहर निकलने का सीआईएल का प्रस्ताव कोयला मंत्रालय में प्राप्त हुआ है क्योंकि आईसीवीएल मुख्य रूप से मेटालर्जिकल कोयला परिसंपत्तियों को प्राप्त करने पर केन्द्रित है तथा तापीय कोयले को पूरा करने के लिए सीआईएल का हित आईसीवीएल में इसकी भागीदारी से मामूली हो जाएगा। सीआईएल से अनुरोध किया गया है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे क्योंकि सीआईएल स्वयं विदेश में परिसंपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। सीआईएल के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

(छ) जबकि आईसीवीएल मेटालर्जिकल कोकिंग कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर केन्द्रित है, अत: यह अपने संबद्धक कंपनियों के हित/इच्छाओं पर निर्भर करते हुए तापीय कोयला परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है। आईसीवीएल के पुनर्गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट- 3/8

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 120

विषय: "मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली" से संबंधित दिनांक 10.07.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 2844 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 10 जुलाई 2019 को श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से "मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 2844 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा.सं. 2020/इलेक्ट(जी)/106/2/एल एस-2844 दिनांक 25 नवंबर 2020 के माध्यम से निम्नवत् आधार पर आश्वासन छोड़ने का अनुरोध किया:-

> "ब्लू लाइट सिस्टम यात्रियों के लिए केवल एक चेतावनी प्रणाली होगी। यह ईएमयू के दरवाजे के ऊपर लगी है और इसलिए यात्रियों द्वारा ट्रेन में चढ़ने के दौरान, विशेषकर सुबह और शाम के व्यस्तम समय के दौरान, इसे नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा, यह नेत्रहीन यात्रियों के लिए किसी काम का नहीं होगा। इसलिए, यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ईएमयू ट्रेनों के सुरक्षित संचालन में सिस्टम का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए उपनगरीय ईएमयू ट्रेनों में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।"

4. 19 जनवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में समिति द्वारा आश्वासन वापस लेने के उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार समिति ने 03 अगस्त, 2021 को अपनी 47वीं रिपोर्ट (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत की और मंत्रालय को कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख इसे प्रस्तुत करने की अनुशंसा की क्योंकि मंत्रालय ने इस मामले में निर्णय लिया है और आश्वासन पूरा कर लिया गया है।

5. तथापि, रेल मंत्रालय ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.2020/इलेक्ट(जी)/106/2/एलएस-2844 द्वारा निम्नानुसार कहा है:-

"यह सूचित किया गया था कि परीक्षण चल रहे हैं। हालांकि, परीक्षणों के दौरान कोई लाभकारी परिणाम नहीं देखा गया। इसके अलावा, निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं: -

(i) दिन के समय नीली रोशनी की दृश्यता बहुत कम होती है।

(ii) दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए कोई लाभ नहीं।

(iii) नीली बत्ती की विफलता के मामले में, कुछ यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। इससे जनता को शिकायत होगी।

(iv) ब्लू लाइट सिस्टम यात्रियों के लिए केवल एक चेतावनी प्रणाली होगी जिसके कारण व्यर्थ व्यय होगा। इसलिए, यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ईएमयू ट्रेनों के सुरक्षित संचालन में सिस्टम से लाभ नहीं हो सकता है।

(v) प्रकाश(लाइट) ई एम यू एस के दरवाजे के ऊपर स्थित होता है और इसलिए यात्रियों द्वारा ट्रेन में चढ़ने के दौरान,विशेषकर सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान,इसे नहीं देखा जा सकता है। सेंट्रल रेलवे में सिस्टम की प्रतिपुष्टी यात्रियों से ली गई। 113 यात्रियों में से केवल 21 ने नीली बत्ती(लाइट) देखी और शेष 92 ने ईएमयू के दरवाजों पर ब्लू लाइट सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया।

इसलिए उपनगरीय ईएमयू ट्रेनों में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने, रेल राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है ।

समिति के पुनःविचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 28/06/2022

नई दिल्ली:

अनुलग्नक

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.07.2019 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2844 का उत्तर

मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली

2844. श्री मनोज कोटकः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली में रेल पटरियों पर प्रतिवर्ष लगभग 3000 लोग अपना जीवन खोते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्रियों की सुरक्षा हेतु रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यात्रियों के जीवन को बचाने हेतु मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली में अवसंरचना संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के संबंध में 10.07.2019 को लोक सभा में श्री मनोज कोटक के अतारांकित प्रश्न सं. 2844 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली पर वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बहरहाल, राजकीय रेलवे पुलिस/मुंबई से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान क्रमशः 3202, 3014 और 2981 व्यक्तियों ने आत्महत्या, हत्या, रेलपथ पर शवों का निपटान करना, बीमारी के कारण स्वाभाविक मृत्यु, अनधिकृत रूप से पटरियां पार करने, चलती गाड़ियों से गिरना आदि जैसे विभिन्न कारणों से मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में अपनी जानें गँवाईं।

(ग) और (घ): रेलों ने अनधिकृत प्रवेश सहित अप्रिय घटनाओं के कारण मृत्यु के कारणों का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों में अंतर्विभागीय 'संयुक्त समिति' का गठन किया है, जिसमें संरक्षा, सुरक्षा, सिगनल एवं इंजीनियरी विभागों के अधिकारी शामिल हैं। तदनुसार, हताहतों की संख्या को कम करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुधारने और बनाने के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों के जीवन को बचाने के लिए मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में बुनियादी सुविधाओं के उपायों सहित निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

i. लोकल गाड़ियों से यात्रियों की गिरने के घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मुंबई नगरीय परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) फेस I और II में रेकों में बेहतर ग्रिप के लिए फिसलने वाले सेंट्रल ग्रेब पोल के स्थान पर इन्हें नरलिंग प्रकार के ग्रेब पोल से बदला जा रहा है।

ii. पश्चिम रेलवे में कार्यशील 1 पूर्ण वातानुकूलित ईएमयू रेक के अलावा मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में 156 एसी कोचों वाले 13 पूर्ण वातानुकूलित इलैक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (ईएमयू) और 42 एसी कोचों वाले 7 आंशिक वातानुकूलित ईएमयू रेकों को शामिल किया जाना हैं। इसके अलावा, मुंबई रेल विकास कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एमयूटीपी-III के तहत 564 एसी कोचों वाले 47 पूर्ण वातानुकूलित ईएमयू रेकों और एमयूटीपी-IIIए के तहत 2292 एसी कोचों वाले 191 पूर्ण वातानुकूलित ईएमयू को शामिल करने की योजना है। सभी पूर्ण वातानुकूलित ईएमयू रेकों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वचालित दरवाजों की सुविधा होगी।

iii. यात्रियों को चलती गाड़ी में न चढ़ने के लिए सूचित करने के बारे में लोकल गाड़ियों के दरवाजों पर यात्री सुरक्षा सूचना प्रणाली (ब्लू लाइट सिस्टम) लगाने का कार्य वर्तमान में चल रहे ट्राइल के परिणाम के अध्यधीन मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे में विचाराधीन है।

iv. पटरियों को पार करने के लिए रेलवे द्वारा एफओबी का निर्माण किया जा रहा है।

v. अनधिकृत प्रवेश वाले चिह्नित स्थानों पर बाउंड्री वॉल बनाना/ बाड़ लगाना।

vi. मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाना।

vii. रेलवे स्टेशनों पर यात्री उद्घोषणा प्रणाली द्वारा नियमित रूप से घोषणाएँ की जाती हैं, जिसमें यात्रियों से ऊपरी पैदल पुल (एफओबी) का उपयोग करने और पटरियाँ पार करने से बचने का अनुरोध किया जाता है।

viii. पटरियाँ पार करने, पायदान/छत पार यात्रा करने, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने आदि के कारण हताहतों के बारे में यात्रियों को अवगत करने के लिए रेलों द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

ix. यात्रियों की जागरूकता के लिए विशिष्ट स्थानों पर चेतावनी सूचना-पट्ट लगाए गए हैं।

x. अनधिकृत प्रवेश, पायदान, सीढ़ियों, गाड़ियों की छत, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े गए व्यक्तियों पार रेल अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधान के अंतर्गत मुकदमे चलाए जाते हैं।

******

परिशिष्ट- II

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 122

विषय: "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" से संबंधित दिनांक 19.07.2021 के तारांकित प्रश्न सं. 9 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने हेतु अनुरोध।

दिनांक 19 जुलाई, 2021 को श्रीमती जसकौर मीना, संसद सदस्य ने जनजातीय कार्य मंत्री से "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" संबंधी तारांकित प्रश्न सं. 9 पूछा। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्नों के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 नवम्बर, 2021 के का.ज्ञा.फा.सं. 13013/01/2021-ईएमआरएस के माध्यम से निम्नवत बताया:-

> "उपर्युक्त आश्वासन की विषय वस्तु स्कूलों के निर्माण कार्य के संबंध में है जो निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित समय अवधि (लगभग 18 महीने) लेती है। इस प्रक्रिया में उपर्युक्त भूमि की पहचान करना और संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्माण एजेंसी को भूमि सौंपना भी शामिल है। भूमि सौंपने के बाद, निर्माण-पूर्व गतिविधियां की जाती हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने के बाद निर्माण कार्य भी किया जाता है। यह निर्माण की एक सतत और नियमित प्रक्रिया है जिसकी नियमित रूप से राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईटीएस) और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा निगरानी की जाती है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक:- 28/06/2022

नई दिल्ली:

अनुबन्ध

भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *9
उत्तर देने की तारीख 19.07.2021

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

*9. श्रीमती जसकौर मीना:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने से संबंधित योजना का ब्यौरा तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राजस्थान में कुछ स्थानों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो दौसा जिले सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राजस्थान सरकार के लिए कोई धनराशि संस्वीकृत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त विद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' के संबंध में श्रीमती जसकौर मीना द्वारा दिनांक **19.07.2021** को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या **9** के संबंध में संदर्भित विवरण

(क) : एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की अवधारणा को वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को दूरस्थ क्षेत्रों में उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इन स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत वित्त पोषित किया गया था, जहां राज्यों को अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक 480 छात्रों को नामांकित करने की क्षमता है, जिसमें से 50% लड़कियां होंगी। देश भर में 1998 से 2018 के बीच 288 स्कूलों को मंजूरी दी गई।

संकेंद्रित ध्यान देने के लिए, 50% से अधिक जनजातीय जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे विद्यालयों की भौगोलिक पहुंच में सुधार के लिए ईएमआरएस की एक अलग केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की गई थी। संशोधित योजना के तहत ईएमआरएस विद्यालयों की स्थापना के लिए ऐसे 452 ब्लॉकों की पहचान की गई है। गुणात्मक पहलू पर, विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों के समकक्ष लाने और खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। विद्यालयों के प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए विद्यालयों को समग्र समर्थन और नीति निर्देश प्रदान करने के लिए, मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में, जनजातीय छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) की स्थापना की गई है। विद्यालयों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस समितियों की स्थापना की गई है।

देश भर में 367 कार्यात्मक ईएमआरएस हैं, जिनमें वर्तमान में लगभग 85232 छात्र नामांकित हैं।

(ख) और (ग) : राजस्थान राज्य के लिए कुल 30 ईएमआरएस पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 21 ईएमआरएस के कार्यशील होने की सूचना है। राज्य सरकार द्वारा भूमि की पहचान के बाद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के लिए एक और ईएमआरएस स्थापित किया जाना है। योजना के मौजूदा मानदंडों के अनुसार दौसा जिले में किसी भी ईएमआरएस स्थान की पहचान नहीं की गई है। पहचान किए गए स्थानों और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ईएमआरएस का विवरण अनुलग्नक - I पर है।

(घ) और (ड.) : वर्ष 2020-21 के दौरान, निर्माण अनुदान के लिए 8900 लाख रू. और आवर्ती अनुदानों के लिए 4044.17 लाख रुपये जारी किए गए।

(च) : राजस्थान राज्य के लिए अब तक स्वीकृत 30 विद्यालयों में से 17 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 13 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण एजेंसियों को परियोजना को पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है जिसमें निर्माण-पूर्व गतिविधियां भी शामिल हैं।

'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' के संबंध में श्रीमती जसकौर मीना द्वारा दिनांक **19.07.2021** को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (ख) और (ग) के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक - 1

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य के लिए अब तक स्वीकृत ईएमआरएस:

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	स्वीकृति का वर्ष
1	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	1997-98
2	बारन	शाहबाद	1997-98
3	सिरोही	अबू रोड	1997-98
4	उदयपुर	कोट्रा	1997-98
5	डूंगरपुर	सिमलवाड़ा	1998-99
6	टोंक	निवाई	1999-00
7	उदयपुर	ऋषभदेव	1999-00
8	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	2007-08
9	अलवर	राजगढ़	2010-11
10	बांसवाड़ा	आनंदपुरी	2010-11
11	डूंगरपुर	सबला	2010-11
12	जयपुर	बस्सी	2010-11
13	करौली	टोडाभीम	2010-11
14	सवाई माधोपुर	बामनवास	2010-11
15	अलवर	रेनी	2011-12
16	बांसवाड़ा	आनंदपुरी	2013-14
17	उदयपुर	गोगुन्दा	2013-14
18	जयपुर	जामवा रामगढ़	2016-17
19	बांसवाड़ा	आबापुरा	2018-19
20	प्रतापगढ़	पीपलखूंट (ईएमडीबीएस)	2018-19
21	डूंगरपुर	डूंगरपुर	2019-20
22	उदयपुर	शारदा	2019-20
23	बांसवाड़ा	गढ़ी	2020-21
24	बांसवाड़ा	बगीदोरा	2020-21
25	डूंगरपुर	सगवार	2020-21
26	प्रतापगढ़	धारियावाडी	2020-21
27	प्रतापगढ़	अर्नोडो	2020-21
28	उदयपुर	झाडोल	2020-21
29	उदयपुर	लसादिया	2020-21
30	उदयपुर	सलुंबर	2020-21
31	उदयपुर	खेरवाड़ा	स्वीकृत किया जाना है।

*****

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)
(सत्रहवीं लोक सभा)
दसवीं बैठक
(04.07.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा सं 'सी', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री एम.के. राघवन
6. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - निदेशक
3. श्री कृष्ण सी. पाण्डेय - उप सचिव

XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 03 मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने; (ii) 22 लंबित आश्वासनों को छोड़ने और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने और (iii) लंबित आश्वासनों के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है|

2.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
3.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

4. तत्पश्चात, समिति ने 22 आश्वासनों वाले उक्त 20 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 107 से 126 तक) से संबंधित आश्वासनों को छोड़ने या न छोड़ने हेतु विचारार्थ लिया। कुछेक ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात समिति ने माननीय सभापति को शेष ज्ञापनों पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया। तत्पश्चात, सभापति ने निर्णय लिया कि अनुबंध-एक* में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 13 आश्वासनों को छोड़ दिया जाए तथा अनुबंध-दो में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शेष 09 आश्वासनों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासनों को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाए।

5.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
7.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति **(2021-2022)** द्वारा 04.07.2022 की बैठक में आश्वासनों को न छोड़ने के संबंध में सार दर्शाने वाला विवरण-

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
1	107	ता.प्र.सं.144 दिनांक 02.07.2019 (श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग)	एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना	समिति ने नोट किया कि आश्वासन में उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना शामिल था। समिति ने पाया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विभिन्न प्रावधान हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि वे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सलाह और सुझाव देने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। समिति चाहती है कि अपेक्षित कार्यान्वयन प्रतिवेदन

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					सदन में रखी जाए।
2	108	अता.प्र.सं. 3725 दिनांक 25.08.2011	विधि और न्याय (विधिक कार्य विभाग)	अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट	मंत्रालय ने इस आश्वासन को इस आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है कि भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 184 उच्चतर शिक्षा विभाग और अन्य हितधारकों के परामर्श से विधि कार्य विभाग के विचाराधीन है और चूंकि इस मामले में कानूनी पेशे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और पहलू शामिल हैं, इसलिए उक्त रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। समिति मानती है कि आश्वासन को छोड़ने का मंत्रालय का तर्क अमान्य है क्योंकि कानूनी पेशे से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे और पहलुओं से जुड़े मामले को पूरी निष्ठा से और निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। समिति

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					की जांच से पता चला है कि 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकार, इस मामले में पहले से ही अत्यधिक विलंब हो चुका है। इसलिए समिति मंत्रालय से इस मामले को प्रभावी ढंग से उठाने और अपने कार्यकरण में और अधिक गतिशीलता लाने तथा आश्वासन को तेजी से पूरा करने में का आग्रह करती है।
3	111	अता.प्र.सं. 4030 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)	सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना	मंत्रालय ने इस आश्वासन को इस आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने सूचित किया है कि सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसबीआईजी) अब उसके विचाराधीन नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने नर्मदा नहर परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सहायता प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है जो स्वीकृति के लिए मंत्रालय में प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार, आश्वासन को

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					छोड़ने के मंत्रालय के तर्क में कोई औचित्य नहीं है। समिति का मानना है कि एक बार आश्वासन दिए जाने के बाद इसे तार्किक अंत तक लाया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय को नर्मदा नहर परियोजना के बारे में केंद्रीय सहायता के प्रस्ताव के मामले को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और आश्वासनों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
4	114	(i) ता.प्र.सं.109 दिनांक 03.03.2016 (ii) अता.प्र.सं. 3705 दिनांक 03.01.2019	विद्युत	(i) विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन	समिति ने नोट किया कि परिशोधित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 अभी भी लंबित है क्योंकि उक्त विधेयक 16 वीं लोक सभा के विघटन के पश्चात व्यपगत हो गया था। समिति का मत है कि उक्त अधिनियम के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि और अधिक प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाई जा सके। इसलिए, समिति 04.01.2018 को 72 वें प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) की

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					पूर्व सिफारिश को दोहराती है कि मंत्रालय को आश्वासन पूरा करने के लिए बिना किसी देरी के सभी हितधारकों के समन्वय से विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।
5	115	दिनांक 15.12.2014 को डॉ. सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम की ओर ध्यानाकर्षण	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)	देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	मंत्रालय ने इस आश्वासन को इस आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम और खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विधेयक के मसौदे की समीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एफएसएस अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देना तत्काल संभव नहीं है। यह तर्क समिति को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मुद्दा देश में खाद्य मिलावट से संबंधित है जो अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का है और इसलिए इसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर तार्किक निष्कर्ष तक लाया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि इस मामले में पहले ही सात वर्ष से अधिक की

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					देरी हो चुकी है, समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह इस मामले में निश्चित समय सीमा के भीतर तत्काल कार्रवाई करे ताकि आश्वासन को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
6	116	अता.प्र.सं. 4057 दिनांक 05.09.2012	कोयला	स्पेशल पर्पज व्हीकल	कोयला मंत्रालय ने इस आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इस्पात मंत्रालय न तो इनपुट प्रदान कर रहा है और न ही कोयला मंत्रालय के उत्तर के आधार पर बनाए गए आश्वासन के हस्तांतरण को स्वीकार कर रहा है। समिति मंत्रालय के इस तर्क को आश्वासन को छोड़ने के लिए वैध आधार नहीं मानती है। समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि आश्वासन वर्षों तक अधूरा रहता है क्योंकि आश्वासन की पूर्ति के लिए कार्रवाई के संबंध में स्पष्टता नहीं होती है। समिति का मानना है कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को इंटरनेशनल कोल वेंचर्स

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					लिमिटेड (आईसीवीएल) में बने रहने और आईसीवीएल के पुनर्गठन पर कार्रवाई से संबंधित मामला संवेदनशील और गंभीर है और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ पुरजोर तरीके से उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति कोयला मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह आश्वासन के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, जो आश्वासनों के कार्यांवयन के लिए नोडल मंत्रालय है, के ध्यान में इस मामले को लाए ताकि आश्वासन को सही मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा सके और आश्वासन का शीघ्र कार्यान्वयन भी किया जा सके।
7	120	अता.प्र.सं. 2844 दिनांक 10.07.2019	रेल	मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली	मंत्रालय ने कहा है कि यात्री सुरक्षा सूचना प्रणाली (ब्लू लाइट सिस्टम) के परीक्षणों के दौरान कोई लाभकारी परिणाम नहीं देखा गया। इसके अलावा प्रणाली में कई कमियां भी पाई गई थीं, इसलिए मंत्रालय ने इस आधार पर आश्वासन को छोड़ने का

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					अनुरोध किया है कि उपनगरीय इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) ट्रेनों में ऐसी प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। समिति ने पाया कि मंत्रालय द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। इसलिए मंत्रालय को कार्यान्वयन रिपोर्ट को संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसे सदन के पटल पर रखा जा सके।
8	122	ता.प्र.सं.9 दिनांक 19.07.2021	जनजातीय कार्य	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि स्कूलों के निर्माण कार्य में कुछ समय लगता है क्योंकि यह निर्माण की एक सतत और नियमित प्रक्रिया है जिसकी नियमित रूप से नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईटीएस) और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती है, अतः मंत्रालय ने आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है। समिति चाहती है कि यथाशीघ्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा देते हुए अपेक्षित

क्रम सं	ज्ञापन सं	ता.प्र./अ.ता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणियां
					कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए।

परिशिष्ट - ग्यारह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दूसरी बैठक

(20.12.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कमरा संख्या 216, (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री खगेन मुर्मु
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री एम.के. राघवन
7. श्री चन्द्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	संयुक्त सचिव
2. डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	निदेशक
3. श्री महेश चन्द गुप्ता	उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव	अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पांच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

(एक) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय से

संबंधित प्रारूप 74वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(दो) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 75वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप 76वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 77वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और

(पांच) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप 78वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय**
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम.सी.गुप्ता - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय के दिनांक 01 जून, 2022 को त्याग पत्र देने के कारण समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया, देखिए दिनांक 06 जून, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 4711